न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या :- 215/2022
अनवान मुकदमा -

विनोद कुमार पुत्र आदराम जाति जाट साकिन डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादी

बनाम

1. **आदराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट साकिन डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।**
2. **सुनीता पुत्री आदराम जाति जाट साकिन डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।**

- - प्रतिवादीगण

-:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा ::-

-:: उपस्थित अभिभाषक ::-

1. एड. हरजिन्द्रसिंह रमाणा -- वादी
2. एड. नवीन जैन -- प्रतिवादीगण सं. 1, 2

-:: निर्णय :-

दिनांक - 20.6.2022

वादीगण ने प्रतिवादीगण 1 ता 2 के विरूद्व यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि

यह कि प्रतिवादी सं.1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 11 एमओडी के खाता सं. 3/12 के प.नं. 54/260 (1), 55/260 (2) की 1.771 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी, चक 11 एमओडी के खाता सं. 4/56 के प.नं. 57/261 (5) की 0.999 हैक. नहरी खातेदारी दर्ज रिकार्ड वाके है। नकल जमाबंदी सलग्न वाद पत्र की गई है।

यह कि प्रतिवादी सं.1 के नाम कृषि भूमि तहसील हनुमानगढ़ के चक 16 जेआरके के खाता सं. 5/5 के प.नं. 54/255 (50), 54/259 (78) की 2.024 हैक. नहरी खातेदारी दर्ज रिकार्ड वाके है। नकल जमाबंदी सलग्न वाद पत्र की गई है।

यह कि वाद पत्र की दफा 3, 4 में वर्णित भूमि प्रतिवादी सं.1 को अपने पिता तुलछाराम पुत्र गणेशाराम से प्राप्त हुई है जो वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। उक्त पैतृक कृषि भूमि बाबत वादी व प्रतिवादीगण के मध्य अर्सा दराज पूर्व घरू बंटवारा हो चुका है जिसमें प्रतिवादी सं. 2 ने अपना तमाम हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में छोड़ दिया है वह इस भूमि में अपना हक व हिस्सा नही लेना चाहती है। वादी को उक्त बंटवारा में निम्न कृषि भूमि प्राप्त हुई है -

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:13:12 IST
Reason: SelfAttested

वादी को तहसील पीलीबंगा के चक 11 एमओडी के खाता सं. 3/12 के प.नं. 54/260 (1), 55/260 (2) की 1.771 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी व तहसील हनुमानगढ़ के चक 16 जेआरके के खाता सं. 5/5 के प.नं. 54/255 (50), 54/259 (78) की 2.024 हैक. नहरी खातेदारी में से 1.012 हैक. नहरी खातेदारी इस

20.06.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रकार कुल तादादी 2.783 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी का खातेदार एवं काश्तकार घोषित किया जाये। शेष कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम यथावत रहेगी। वादी को प्राप्त भूमि पर वादी शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। वादी को प्राप्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं.1 के नाम दर्ज होने के कारण वादी की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है इसलिये वादी खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का हकदार है।

यह कि वादी नें प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वे वादीगण को घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार मानते हुए राजस्व रिकार्ड में अकंन करवा देवे तो वे कुछ दिन तो टाल मटौल करते रहे परन्तु अब वह 5 रोज पूर्व ऐसा करने से बिल्कुल मना हो गये बस यही वाद कारण है। यह कि वाद पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वाद वादी उक्तानुसार डिक्री फरमाया जावे। खर्चा मुकदमा दिलाया जावे। अन्य कोई अनुतोष जो अदालत हाजा उचित समझे दिलाया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पक्ष की ओर से एडवोकेट नवीन जैन हाजिर अदालत आये और अपना वकालतनामा पेश किया। दिनांक 6.6.2022 को वादी व प्रतिवादीगण 1 व 2 मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। पहचान सिद्व होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषको में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार का पैतृक सम्पंति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र का पैतृक सम्पति में से जोत का विभाजन करवा सकता है।

मुताबिक एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है।

-:: आदेश ::-

बहस पर मनन किया। वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया [illegible] कन पाया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी 1 व 2 की पैतृक [illegible] है जो जद्दी जायदद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के 3 [illegible] लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। वादी को तहसील पीलीबंगा के चक 11 एमओडी के खाता सं. 3/12 के प.नं. 54/260 (1), 55/260 (2) की 1.771

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:12:12 IST
Reason: SelfAttested

20.06.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

हैक. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी व तहसील हनुमानगढ़ के चक 16 जेआरके के खाता सं. 5/5 के प.नं. 54/255 (50), 54/259 (78) की 2.024 हैक. नहरी खातेदारी में से 1.012 हैक. नहरी खातेदारी इस प्रकार कुल तादादी 2.783 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम यथावत रहेगी।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

20.06.2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:12:12 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 235/2022

अनवान मुकदमा -

विनोद कुमार पुत्र आदराम जाति जाट साकिन डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादी

बनाम

1. **आदराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट साकिन डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।**
2. **सुनीता पुत्री आदराम जाति जाट साकिन डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।**

- - प्रतिवादीगण

-:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा ::-

-:: उपस्थित अभिभाषक ::-

1. एड. हरजिन्द्रसिंह रमाणा -- वादी
2. एड. नवीन जैन -- प्रतिवादीगण सं. 1, 2

-:: डिक्री :-

दिनांक - 20.6.2022

वादी की ओर से श्री हरजिन्द्रसिंह रमाणा अधिवक्ता एवं प्रतिवादी की ओर से श्री नवीन जैन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 14.6.2022 को रणजीत कुमार (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वादी को तहसील पीलीबंगा के चक 11 एमओडी के खाता सं. 3/12 के प.नं. 54/260 (1), 55/260 (2) की 1.771 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी व तहसील हनुमानगढ़ के चक 16 जेआरके के खाता सं. 5/5 के प.नं. 54/255 (50), 54/259 (78) की 2.024 हैक. नहरी खातेदारी में से 1.012 हैक. नहरी खातेदारी इस प्रकार कुल तादादी 2.783 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम यथावत रहेगी।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तथा भूमि रहन मुक्त हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया [illegible] फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील [illegible] दाखिल हो। आदेश आज दिंनाक 14.6.2022 को मेरे द्वारा [illegible] आम सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:12:12 IST
Reason: SelfAttested

20.06.2022

(रणजीत कुमार)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा